बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–73/2019 3024 /पटना, दिनांक–16/7/2019

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

क्र0 सं0	कार्य प्रमण्डल	प्रखंड	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिक मरम्मति हेतु 10 प्रतिशत राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Patna	Fatuha	Saidpur Chandasi Path to Sahora Village	1.200	26.66900	11.57200	2.66690	40.90790
2	Patna	Bakhtiyarpur	NH-30 to Champapur	1.750	42.73700	12.57500	4.27370	59.58570
3	Patna	Khushupur	Repair & Maintenance of Road from Khusrupur Nagarnausa Road to Gopalpur (Dolanichak)	1.500	28.03500	13.60800	2.80350	44.44650
4	Patna	Khushupur	Baikatpur Mandir & Ganga Nadi Path	2.650	45.96600	24.26300	4.59660	74.82560
5	Patna	Khushupur	Khusrupur Nagarnausa Road to Netar	0.970	22.55300	10.25400	2.25530	35.06230
6	Patna	Khushupur	Khusrupur Nagarnausa Road to Ismailpur	1.900	36.27900	20.21200	3.62790	60.11890
7	Patna	Khushupur	NH-30 Purana Baikatpur to Sukarbegchak Via RWD Road Bhuski	1.050	18.97100	11.18100	1.89710	32.04910
8	Patna	Khushupur	Khusrupur Nagarnausa Road to Mardwa	2.000	59.75400	22.74200	5.97540	88.47140
9	Patna	Patna Sadar	Fathehpur Bhramasthan to Mirchi Bhalsleta Pain	2.105	73.37300	24.07100	7.33730	104.78130
10	Patna	Patna Sadar	Chiriya to Gulhariya Tak	2.500	79.50400	19.05700	7.95040	106.51140
11	Patna	Patna Sadar	Nakta Diyara Bichli Ghat to Harijan Tola	2.400	74.86000	18.47400	7.48600	100.82000
12	Patna	Patna Sadar	Nakta Diyara Pacchami Ghat to Nakta Diyara Naya Tola	3.200	100.57400	24.39000	10.05740	134.02140
13	Patna	Patna Sadar	Nakta to Manas Via Chirya Tak	3.100	97.47400	23.77300	9.74240	130.98940

क्र सं०	कार्य प्रमण्डल	प्रखंड	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिक मरम्मति हेतु 10 प्रतिशत राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Patna	Bakhtiyarpur	NH30 to Ghoshawari	2.250	53.66400	14.26000	5.36640	73.29040
37	Patna	Bakhtiyarpur	NH30 to Dhobha Ghat Via Doma Mushhar Path	5.100	111.30100	51.68400	11.13010	174.11510
38	Patna	Bakhtiyarpur	NH30 Ghanshurpur to Salimpur Harijan Toli	3.950	72.24500	34.10800	7.22450	113.57750
39	Patna	Bakhtiyarpur	NH30 Bhahpur to Majhauli	2.450	55.74000	24.49600	5.57400	85.81000
40	Patna	Bakhtiyarpur	NH30 to Chakdaulat	1.907	40.92300	19.83800	4.09230	64.85330
41	Patna	Sampatchak	Khairatali Surya Mandir to Dariyapur Brajeshwar Market	0.900	29.35600	9.14700	2.93560	41.43860
42	Patna	Fatuha	Dumari Daulatpur Road to Pitambarpur	0.800	17.94600	7.85800	1.79460	27.59860
43	Patna	Daniyawan	NH-30 to Bariarpur	1.000	40.20900	10.14700	4.02090	54.37690
44	Patna	Fatuha	Dumari Daulatpur Road to Chak Sultanpur	3.300	74.53900	32.59300	7.45390	114.58590
45	Patna	Daniyawan	NH-30 Sigariyama to Dalani Toad (Kharbhaiya)	5.750	185.60700	57.17700	18.56070	261.34470
46	Patna	Daniyawan	NH-30 to Bakipur	2.300	80.67300	17.42200	8.06730	106.16230
	Total			103.661				4089.66531

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, पटना** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**09.07.2019** को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–73/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–73/2019 के पृ0-14/टि0 पर दिनांक- 15/7/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मो0 सोहैल)
अपर सचिव
16/7/19

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–73/2019 3024/पटना, दिनांक– 16/7/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
16/7/19

Scanned with CamScanner